न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 17/2020 अपील/प्रतापगढ़
पंजीयन दिनांक– 06.02.2020
निर्णय दिनांक– 10.09.2020

समस्त ग्रामवासियान सीयाखेडी, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ जरिये प्रतिनिधियान–

1. श्री रमेश पिता धन्ना जाति मीणा, निवासी सीयाखेडी, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री चतरू पिता भूरा जाति मीणा, निवासी सीयाखेडी, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. श्री भैरूलाल पिता मांगीलाल जाति मीणा, निवासी सीयाखेडी, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
4. श्री रमेश पिता मांगीलाल जाति मीणा, निवासी सीयाखेडी, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
5. श्री गोपीलाल पिता शिवलाल जाति मीणा, निवासी सीयाखेडी, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत सीयाखेडी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत सीयाखेडी, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. मुस्लिम समाज कब्रिस्तान जरिये अध्यक्ष श्री हनीफ खां पिता निसार खां मुसलमान, मुस्लिम समाज कब्रिस्तान सीयाखेडी, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. सरकार जरिये तहसीलदार, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :

श्री प्रकाश पालीवाल : अधिवक्ता अपीलान्ट संख्या 1 से 4
श्री अभिमन्यु जाट : अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
राजकीय अभिभाषक : रेस्पोडेंट संख्या–3

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक राजस्व/भू.आ.
/2013/1414–1471 दिनांक 21.06.2013

निर्णय

दिनांक–10.09.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक राजस्व/भू.आ./2013/1414–1471 दिनांक 21.06.2013 के विरूद्ध दिनांक 07.07.2015 को मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा. दी. के साथ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 15.01.2020 को दर्ज की गई। जिला प्रतापगढ़ से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 06.02.2020 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी ने प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2013 के अंतर्गत मौजा सीयाखेडी, तहसील छोटीसादडी की आराजी नम्बर 1446 रकबा 2.96 हैक्टेयर में से 0.20 हैक्टेयर भूमि अन्य आराजी नम्बर 23 रकबा 3.18 हैक्टेयर भूमि को मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान हेतु आरक्षित किये जाने की अनुशंषा पर जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक राजस्व/भू.आ./2013/1414–1471 दिनांक 21.06.2013 से उपरोक्त वर्णित आराजी की भूमि को मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान हेतु आरक्षित किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील दफा 5 जाप्ता मयाद व दफा 96 जाप्ता दीवानी के साथ पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

अपीलान्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश पालीवाल उपस्थित व अपीलांट संख्या–5 बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या–1 बावजूद सूचना अनुपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या–2 की ओर से श्री अभिमन्यु जाट उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या–3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोडेंट सख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब अपील, दफा 5 जाप्ता मयाद व दफा 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन का जवाब पेश किया। उपस्थित अधिवक्ता की बहस दिनांक 03.09.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 21.06.2013 से मौजा सीयाखेडी में मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान हेतु भूमि आरक्षित किये जाने का आदेश पारित किया है, जो अपने आप में अवैधानिक है। विवादित आंवटित आराजी मौजा सीयाखेडी में अवस्थित होकर बिलानाम भूमि दर्ज रेकार्ड है, जिस पर कई व्यक्तियों के कब्जे होकर कृषि भूमि है जिसके अतिक्रमण की कार्यवाही भी नियमित रूप से की जाती रही है। रेस्पोडेंट संख्या–2 के समाज का पूर्वजों से कब्रिस्तान स्थित है, जो पर्याप्त भूमि पर बना हुआ है व वर्तमान में कब्रिस्तान हेतु रेस्पोडेंट संख्या 2 का किसी प्रकार की भूमि की आवश्यकता नहीं है फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 2 ने रेस्पोडेंट संख्या 1 की सहमत से आनन फानन में प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2013 के तहत आवंटन आदेश पारित कराया गया है। विवादित आवंटित आराजी नम्बर 1446, 23 बिलानम भूमि है, जिस पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2011 के तहत आरक्षण व आवंटन पर रोक लगा गयी जिसका हवाला अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है। ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव में आराजी नम्गर 1446, 23 भूमि के संबंध में यह प्रस्ताव प्रेषित किया कि उक्त भूमि का मौके पर कब्रिस्तान हेतु उपयोग उपभोग किया जा रहा है पूर्णतया गलत प्रस्ताव लेकर प्रेषित कर दिया जिसको आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जो पूर्णतया अवैधानिक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.06.2013 को जो आदेश एवं निर्णय पारित किया वह सही है, अपीलांट उक्त आदेश व निर्णय को निरस्त कराने का अधिकारी नही है। उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी ने प्रशासन गांवो के

संग अभियान, 2013 में मौजा सीयाखेडी की आराजी नम्बर 1446 रकबा 2.96 हैक्टेयर में से 0.20 हैक्टेयर भूमि मुसलमान समाज के कब्रिस्तान हेतु आवंटित की थी जो सही है एवं आराजी नम्बर 23 रकबा 13.18 हैक्टेयर का रेस्पोडेंट संख्या 2 का कोई संबंध नही है, उक्त अपील में जो तथ्य अंकित किये गये है, वह गलत है। रेस्पोडेंट संख्या 2 के समाज के लिए और कोई कब्रिस्तान ग्राम सीयाखेडी में नही है केवल मात्र एक ही कब्रिस्तान है जो प्रशासन गांव के संग अभियान, 2013 में आवंटित किया गया था। आराजी नम्बर 1446 बंजड भूमि थी जिसमें से कब्रिस्तान हेतु 0.20 हैक्टेयर आराजी आवंटित की गई जो आज भी बतोर कब्रिस्तान की होकर मुस्लिम समाज के उपयोग में चली आ रही है। आराजी नम्बर 1446 बाबत उक्त भूमि का उपयोग मौके पर कब्रिस्तान हेतु उपयोग उपभोग किया जा रहा है सही है पंचायत ने पूर्ण कोरम के आधार पर भूमि देने हेतु निर्णय लिया गया और उसके बाद सहमति के आधार पर आवंटन आदेश पारित किया गया। प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2013 में आराजी नम्बर 1446 में से मात्र 0.20 हैक्टेयर भूमि कब्रिस्तान बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान की थी और मौके पर कब्जा भी पटवार हल्का द्वारा दिया गया जिसका नामांतरण दिनांक 18.10.2013 को खोला गया। अतः अपील अपीलांट निरस्त कराये जाने बाबत निवेदन किया गया। इसी प्रकारराजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या–3 ने उपस्थित होकर अपील अपीलांट सारहिन होने से खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी होना प्रमाणित नही है तथा अपीलांट के अखण्डित शपथ पत्र व न्यायहित में मयाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम प्रकरण में अपीलांट के दफा 96 जाब्ता दीवानी के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आवंटन में निहित भूमियों के सन्दर्भ में स्वयं को उक्त भूमियों के अपने कब्जे काश्त में होने का एक मात्र आधार बताकर दफा 96 जा0दी0 का आवेदन प्रस्तुत किया है। इसके खण्डन का जबाब रेस्पोंडेण्ट संख्या 5 द्वारा देते हुए निवेदन किया है कि अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर कोई पुराना कब्जा नहीं है तथा आवंटन के बाद जबरन उक्त भू–भाग पर

कब्जा करने को आमादा हो रहे हैं। प्रकरण में हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपील पत्रावली के आद्योपांत अवलोकन करने के बाद भी अपीलाण्ट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे अपीलाधीन भूमि पर उनका कब्जा होना अथवा उसकी साक्ष्य होना प्रमाणित होता हो। सार्वजनिक/राजकीय प्रयोजनार्थ, राजकीय भूमि के आवंटन के सन्दर्भ में अपीलाण्ट का अतिक्रमी होने के आधार पर उसकी अपील प्रस्तुत की गई है परन्तु उसके अतिक्रमी अथवा कब्जा होने की कोई साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं है, तद्नुसार अपीलाण्ट को इस अपील में आवश्यक, हितबद्ध अथवा व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता। अतएवं अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा दफा 96 जा0 दीवानी का आवेदन खारिज किया जाकर अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलाण्ट दफा 96 जाब्ता दीवानी का आवेदन खारिज किये जाने के कारण खारिज की जाती है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर